

SHRI S. A. SHAMIM: He has not seemed to be Mr. Swell.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA I will ask again: "Where is the end?" The next point I want to make with your permission, Sir, is that even during the British days, we were in jail. I do not know how many of the Congressites were there in the British jails but at that time, there was a rule that a detenu will be treated in such-and-such a manner. If they are the earning members of the family their families used to get family allowance. Now all these have been stopped. Recently a memorandum has been sent by the inmates of the Tihar Jail, which says there is no family allowance, no guarantee for minimum amount of food which is necessary for a human being, no facilities for meeting the relatives regularly and no clothing. This is the memorandum which they have submitted to the Governor. I hope he has received a copy of it. No action has been taken on that.

I know three or four cases where the detenus have died because there was no treatment inside the jail. There is the famous case of Bihari Bhanu in Rajasthan. There are similar cases in Assam and other States. The minimum treatment should be guaranteed to the detenus. Though there is a provision, they are not acting on that provision. Under section 6 you have to make a rule. You will say that the State Governments have to do it. But ultimately, it is your Act. You have to guarantee the minimum conditions, decent living conditions inside the jail and medical treatment, family allowance and other allowances which they were enjoying even during the British days. So, I would request the Minister to look into it.

With these words, I emphatically oppose the proposed Bill. I say that it is nothing but giving a bluff to the people to say it is the end. It is not the end. They will again come with another extension, nobody knows how long.

MR. DEPUTY-SPEAKER: As agreed, we will have another one hour for the Members on Monday, or whenever this is taken up. Now we take up Private Members' Business.

15.33 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

SIXTY-FIFTH REPORT

SHRI RAJDEO SINGH (Jaunpur): I beg to move:

"That this House do agree with the Sixty-fifth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 12th August 1976."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That this House do agree with the Sixty-fifth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions Presented to the House on the 12th August, 1976."

The motion was adopted.

15.33 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL—contd

(Amendment of article 75) by Shri
Bibhuti Mishra

MR. DEPUTY-SPEAKER: We now take up further consideration of the Bill to amend the Constitution by Shri Bibhuti Mishra. Two hours were allotted. One hour was taken and one hour is the balance. Shri Hari Singh was on his legs on the last occasion. He may continue his speech.

श्री श्री विष्णु (बुर्जा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के बहुत ही अनुभवी तथा बुझने स्वतंत्रता संशय में जिन्होंने बड़ा कार्यवाही और पुरजोर भाग लिया संविधान में संशोधन करने वाला दिन पेश किया है जिस पर हम विचार कर रहे हैं। इस बिल में उन्होंने दो मुद्दे दिए हैं। एक तो यह कहा है कि मंत्री दो टर्म से अधिक नहीं रहना चाहिये और दूसरे एक मंत्री को पंद्रह सौ से अधिक बेतन नहीं मिलना चाहिए। पहले का मकसद यह है मंत्री पावर का मोनोपोलाइज न कर सके।

15.24 hrs.

[SHRI BHAGWAT JHA AZAD in the Chair]

मैं स्मझता हू कि उन का खयाल यह है कि मंत्री बन जाने के बाद कोई व्यक्ति अपने आप को सत्ता में बनाये रखने के लिए ऐसे साधन अपना सकता है, जिन के कारण उस को हटाया ना जा सके। मैं निवेदन करना चाहता हू कि भारत का मन्त्री रूलर यहां की जनता है—इस देश में रीयल मॉन्किरेन यहां के करोड़ों वोटर हैं, जो यह फैसला करते हैं कि उन पर हुकुमत करने का हक किस को है। प्रजातंत्र का यह जसूल है कि जनता की व्यक्ति जनता के लिए होती है, मंत्री के लिए नहीं होती है जो मंत्री जनता के हितों के साथ खिलवाड़ करेगा, उस का मोषण करेगा और शक्ति वा इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करेगा, वह ज्यादा दिन तक अपने पद पर टिक नहीं पायेगा, क्योंकि हर पांच छ साल के बाद उस को जनता की अदालत के सामने पेश होना पड़ता है।

मंत्री पद केवल सत्ता में बने रहने के लिए नहीं है, बल्कि इतिहास के पन्ने इन उदाहरणों से रंगे हुए हैं कि विभिन्न देशों में मंत्रियों ने अपने देशों की प्रगति और निर्माण करने में कितना क्रियात्मक पार्ट अदा किया है। वॉल्टस्टोन ने जो एक बड़े राजनेता और

विद्वान हुए हैं, और जो सत्ता में भी रहे हैं कहा है :

"The desire for office is the desire of ardent minds for a large space and scope to serve the country and for command of that powerful machinery which the Government departments supply."

मैं कहना चाहता हू कि मंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक माध्यम है हमारे देश में केवल एकस-पार्ट ही मंत्री नहीं बनते हैं। जिन लोगों को किसी विभाग विशेष के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, वे भी उस विभाग के मंत्री बना दिये जाते हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हू कि हर व्यक्ति मंत्री बन जाने के बाद उस पद पर अपनी मोनोपली रखेगा, या उस का दुस्रपयोग करेगा। श्री रफ़ी अहमद कियेवाई हमारे यहा मंत्री थे। मैं नहीं जानता कि उन्होंने सत्ता की क्या मोनोपली की। लेकिन उन के मरने के बाद अखबार में निकला था कि वह लाखों रुपयों के बर्ख से लदे हुए है। इन मीके पर मे यह भी याद दिलाना मुनासिब समझता हू कि चर्चिल दो बार इंग्लैंड के प्रधान मंत्री रह चुके थे। जब उन के देश का जर्मनी से युद्ध हुआ, तो वेम्बर-लेन की जगह उन को प्रधान मंत्री बना दिया गया। मंत्री को जो तरह तरह का अनुभव होता है, वह काम करना है।

अगर मंत्री को थू ह्याल हो जाये कि दो टर्म के बाद उन को मंत्री नहीं बनना है, तो वह ज्यादा पावर एक्जुस्यूट करेगा। अगर उस के सिर पर इन तरह की स्वीड आफ डेमोक्रेसी लटकाई जायेगी, तो वह अफ्टर और काले धंधे अपना कर दूसरी तरह की ताकत पैदा कर सकता है, जिस की दबोलत वह पुस्त-दर-पुस्त खा सकता है—वह उन साधनों को इकट्ठा कर सकता है, जो राजनैतिक सत्ता को खरीद सकते हैं।

इस देश में और बाहर भी ऐसी बहुत सी मिनाले हैं कि कई व्यक्ति कभी मंत्री नहीं

[श्री हरि सिंह]

बने, लेकिन फिर भी बहुत भारी राजनैतिक सत्ता उन के हाथों में रही और उन्होंने सियाह का सफेद और सफेद का सियाह कर दिया। इतने बड़े देग के अन्दर कितना बड़ा काम होता है, कितनी वे टाइमोज हैं, मुश्किल समस्याएं हैं, प्रत्येक विभाग में अनेक तरह के सवाल होते हैं, उन को समझने के लिए कुछ समय चाहिए। जैसे ही उन को कुछ अनुभव होता है उस के बाद उन को हटाने की बात हो जाती है तो यह कुछ गुनासिब नहीं मालूम होता है और संविधान में इस तरह की पाबन्दी लगाना बहुत उचित नहीं होगा। आप जानते हैं कि प्रधान मंत्री जिन को यह सब कुछ चलाना होता है वह देखते हैं कि मैं किस टोम के साथ काम अच्छी तरह चला सकता हूँ, मैं किस मंत्री को साथ ले कर देश की भलाई कर सकता हूँ। सत्ता के बारे में मुझे एक बहुत अच्छी बात याद है जो मैं ने एम ए में पढ़ी थी। फ्रांसिस बेकन ने एक बात लिखी है :

“Men in great places are thrice servants servants of Sovereign or State, servants of fame and servants of business.”

यही नहीं, उन्होंने एक बात यह और कही है :

“It is strange desire to seek power and loss liberty.”

मैं इस बात को फिर दोहरा देना चाहता हूँ :

H. Wilson said,

“The only limits of power are the bounds of belief.”

तो सत्ता का यह जो खयाल है यह कोई एकचुब्रल पावर से नहीं होता है। आदमी के दिल में क्या है इस पर यह निर्भर करता है। वह सत्ता का किस प्रकार उपयोग करना चाहता है, उस से देश और समाज का कल्याण करना चाहता है या उस से अपने को ताकतवर बनाना चाहता है और देश पर हुकूमत करना

चाहता है इस पर निर्भर करता है। इस में आप को भेद करना पड़ेगा। इस मौके पर एक बात मुझे और याद आ गई। जो सत्ता मैं बने रहने का खयाल बनाए रहते हैं वे मुश्किल किस्म के लोग होते हैं। महात्मा गांधी कभी सत्ता में नहीं थे लेकिन अंग्रेजों से स्वतंत्रता की लड़ाई उन्होंने लड़ी, वह किस बल पर और उस में हिन्दुस्तान के हजारों और लाखों लोगों को उन्होंने अंग्रेजों से लड़ा दिया, क्या वह ताकत नहीं थी ?

That was also the monopoly of power.

अगर आप पावर की बात करते हैं तो मैं इस को इस तरह से इंटरप्रीट कर सकता हूँ। मैं आप के सामने यह रखना चाहता हूँ :

P. J. Bailey said,

“We live in deeds not years, in thoughts, not breaths; in feelings, not in figures on a dial. We should count time by heart throbs, he most lives, who thinks most, feels the noblest acts the best.”

वास्तविक समय अगर आप काउंट करेंगे तो वह तो जो वेस्ट सर्विस वे करते हैं वही समय काउंट किया जायेगा और उसी के माने होते हैं। यो तो आप मंत्रियों पर अगर दस साल की पाबन्दी लगाए तो दो साल में भी वह बहुत कमा सकता है, भ्रष्ट बन सकता है, सत्ता को दो साल में भी गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो संविधान में इस चीज को रखने का यह संशोधन मुझे अच्छा नहीं लगा। यह तो देश की जो पार्टीज हैं, पार्टीज के लीडर्स हैं वे निश्चय कर सकते हैं कि हम को कितने समय के बाद मंत्री को हटाना है, कितने समय के बाद नहीं हटाना है।

एक बात मैं दूसरे संशोधन के बारे में कह दूँ। 15 सौ रुपये की जो बात कही गई है वह भी कुछ मुन.सिब नहीं है। आप जानते हैं कि धन का और मूल्यों का उलट फेर रहता है, उस में घटती बढ़ती होती रहती है। संविधान

मैं इस बात का रखने के बाद आदमी को एफिडियती कितनी रह जायेगी यह आप सोचें। क्या कि यह मांग और आवश्यकता ये सब चीजें तो बढ़ती रहती है। हिंदुस्तान में जहां 40 प्रतिशत पावर्टी लाइन से नीचे के लोग हैं वहां तनख्वाह या धन के अभाव में एफिडियती से लोग काम करें यह क्या संभव होगा? तनख्वाह अगर नहीं होगी या कम होगी तो वे ताजायज तरीके से रूढ़ी कामने की कोशिश करेंगे। इसलिए हालांकि इन संशोधनों की भावना अच्छी मालूम पड़ती है लेकिन यदि देश को मजबूत बनाना है और प्रजातंत्र को चलाना है तो ये दोनों संशोधन पास किए जाने लायक नहीं हैं। मैं इन का विरोध करता हूं और अपने बुजुर्ग साथी श्री विभूती मिश्र जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वे इन दोनों संशोधनों को वापस ले लें।

श्री रामावतार शास्त्री (रटना) : सभापति महोदय, पंडित विभूति मिश्र जी ने जो यह विधेयक पेश किया है मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसमें दो बातें हैं। पहली बात इसमें यह कहा गया है कि कोई भी मंत्री दो बार से अधिक मंत्री न रहे। इनका अर्थ मैं यह समझता हूं कि नये लोगों को मौका मिलना चाहिए। यह जो शासन पर भी इजारेदारी बनती जा रही है, जैसे हमारे देश में और बहुत सारी इजारेदारियां हैं, उन्ही प्रकार शासन की इजारेदारी भी कुछ लोगों के ही हाथ में न रहे—इसको तोड़ने की बात उन्होंने कही है। इसका लाजमी नतीजा यह होगा कि नये नये टैलेन्ट्स, नये नये अहमन्द लोग या शासक पैदा होंगे और वे देश का काम अच्छे तरीके से चलाने की कोशिश कर सकते हैं। (व्यवधान) इसको मैं लाजिकल कंक्लूजन तक ले जाना चाहता हूँ। व्यक्तिगत तौर से मेरा बहुत दिनों से विचार है कि लेजिस्लेचर में, विधान सभाओं, विधान सभलों, राज्य सभा और लोक सभा में दो टर्मस से ज्यादा लोगों को नहीं चुना जाना चाहिए राजनीतिक पार्टियों को इस बात का खयाल रखना चाहिए। पार्टियों में अलग बहस

होगी किस की क्या नीति होगी वह मुझे नहीं मालूम लेकिन मैं समझता हूँ कि अब इस तरह का समय आ गया है, इस पर भी विचार हो सकता है। इस तरह का बातों को हम समझें और देश इसको सोचें। हम लोग जो विधान सभाओं और संसद में आते हैं वे भी इसको सोचें कि इस तरह का समय अब आ गया है या नहीं। पंडित जी ने तो इसको मंत्रियों तक ही सीमित कर दिया है। यदि इसको वहीं तक सीमित कर दिया जायेगा तो यह सवाल उठेगा कि फिर पंडित जी इतने दिनों से यहां पर क्यों हैं। ऐसा साबल उठ सकता है इसलिए मैं समझता हूँ यह सभी पर लागू होना चाहिए। मैं तो इस सीमा तक जाने वाला, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है इसी वजह से मैं इस पर बोलने के लिए उठा वरना बोलता ही नहीं।

सभापति महोदय : आपकी पार्टी ने कोई निर्णय लिया है ?

श्री रामावतार शास्त्री : मेरी बात से आप समझ गए होंगे कि पार्टियों को अभी निर्णय लेना बाकी है।

दूसरी बात उन्होंने तनख्वाहों के बारे में कही है। उन्होंने तर्क दिए हैं कि डेढ़ हजार से अधिक तनख्वाह मंत्री को नहीं मिलनी चाहिए। अभी तीन, साढ़े तीन और चार हजार तक तनख्वाह हैं। एक तरफ हम गरीबी की बात कहते हैं। सचमुच में हमारा देश गरीब है। सम्भवतः 40 फ्रीसदी लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम सादगी का उदाहरण पेश करें, मंत्रीगण, विधायक और हम संसद लोग तो उसका देश की जनता पर बड़ा ही अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। जनता समझेगी कि ये लोग भी हमारी तरह रह कर हमारी सेवा करना चाहते हैं। आज जनता वोट तो दे देती है लेकिन बाद में नुकताचीनी करने लगती है जब हम लोग सैलरी बढ़ाने की बात करते हैं। पेंशन की बात अभी चल रही है और सुना है कमेटी ने उसकी सिफारिश भी

। श्री राजगोपाल कलशो

कर ही है और मंत्रिमंडल ने भी उसकी स्वीकार कर लिया है। ऐसी स्थिति में लोगों को सन्देश पैदा होता है कि क्या कुछ लोग ही सारी सुविधाओं का उपभोग करें और जनता जनार्दन गरीबों की रक्षा में ही पिस्वी रहे। इसलिए यह सवाल उठता है। अगर इस सन्दर्भ में देखा जाये तो पंडित जी का विधेयक बहुत ही माकूल है। वह कह रहे हैं कि सादगी दिखायाइये, केवल दूसरों को ही सादगी का उपदेश मत दीजिये। कभी कभी हम लोग मंत्रियों के यहा जाते है तो वहा सुनने को यह उपदेश मिलता है कि देश में गरीबी है, हम लोगों को थोड़ा सादगी का व्यवहार करना चाहिये। यह बात कहने और सुनने में तो ठीक है, लेकिन वे स्थय इस का व्यवहार नहीं करते हैं। पंडित जी का यह विधेयक हम को उस तरफ प्रेरित करेगा, अगर आप इस को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर सब को इसे मानना पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन की मंता बहुत सही है, इस में उन्होंने कहा है कि सब बिना कर डेढ़ हजार रूपया मिलना चाहिये, देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह बिल्कुल ठीक है। धर्म चल कर जब जनता की स्थिति सुधर जायगी, हम सब लोग मिल कर जो प्रयाम कर रहे है, जब वे सफल हो जायेंगे—तब फिर इस के बारे में मोच सकते हैं। आज बीस सूत्री कार्यक्रम को लेकर देश में जो कार्य चल रहा है, अगर सचमुच ईमानदारी के साथ, हमारी सरकार, सरकारी अफसरान, तमाम राजनीतिक दल, जो इस कार्यक्रम का समर्थन करते है, ठीक से काम करे तो हम जनता की स्थिति को सुधार सकते है, उन के जीवन स्तर को ऊंचा ऊंठा सकते हैं। हमारे वेहातां में आज जो विषमता फैली हुई है, जहां सामन्तवाद पत्थी मार कर बैठा हुआ है, हम उस को तोड़ सकते हैं, जनता में एक नई आशा पैदा कर सकते हैं। जब ऐसी बात होगी, तब फिर हम इस के बारे

में भी खोप लेंगे कि हमारे मंत्रिमंडल का स्तर भी कुछ बढ़े, विधानका और संसद सदस्यों का भी स्तर बढ़े। मैं इसी बुद्धिकांग से पंडित जी के इस विधेयक को देख रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि इसी बुद्धिकांग से इस को देखना भी चाहिये। अगर इसी बुद्धिकांग से आप भी देखेंगे तो जनता का समर्थन हमें अवश्य मिलेगा, जनता, आप की तारीफ करेगी, प्रशंसा करेगी। आज भी देश में ऐसे लोग है जो इत तरह का सादगी का व्यवहार अपने जीवन में करना चाहते हैं। इसी लिये मैं इस पर बोलने के लिये खड़ा हुआ और मैं ने अपनी व्यक्तिगत राय आप के सामने व्यक्त की है।

श्री मूल चन्द्र डाणा (पाली) : सभापति जी, राजनीतिक नेताओं के व्यावहारिक जीवन का प्रभाव समाज और देश पर पड़ता है। जो व्यक्ति भाग्य से देश और समाज का नेतृत्व करता है, उस के व्यावहारिक जीवन का प्रभाव समाज और देश पर पड़ता है, लेकिन उस की तरफ धंगुलि उठाने का अधिकार भी सब को होता है। जो व्यक्ति जनता का नुमाइन्दा बनता है, उस की तरफ धंगुलि उठाई ही जाती है और जब वे गद्दी पर बैठ कर अच्छे अच्छे भाषण देता है तो लोग कहते हैं कि पहले अपने घर को सुधरो, बैरटी बिगिन्ज एकट होम। यही बात हमारे मिश्र जी ने भी इत विधेयक में रखी है, यह उन के अन्तर की आवाज है, इनर-वाएन है। उन्होंने कहा है—आज कां.पस्थिति को देखने हुए, हिन्दुस्तान के साधारण आदमी की आमदनी को देखते हुए इस में कमी होनी चाहिये।

दूनरी बात उन्होंने यह कही है—मंत्रियों को दो टर्म से ज्यादा नहीं रखना चाहिये। अगर वे इत बात को दोनों के लिये कहते तो मुझे ज्यादा ठीक मालूम पड़ती, मंत्री ही नहीं सदस्य भी दो टर्म के लिये आयेगा, तब यह बात कुछ ठीक नजर आती। आज भी ऐसे

बहुत से सदस्य हैं जो तब से मौजूद हैं जब से संसद बनी थी। जो पुराने लोग हैं उनसे हमें फायदा मिलता है, उनके अनुभव हम उनसे सुन लेते हैं। हर भादमी की इच्छा भागे बढ़ने की रहती है। पीछे कोई नहीं देखता है। बीते हुए जमाने की ओर कोई नहीं देखता है। भागे बढ़ना ही जिन्दगी है। पांढे जो बैठे हुए हैं वह दो टर्म के बजाय चार टर्म के लिए भागना चाहेंगे मन्त्री बनना चाहेंगे और अगर मन्त्री बन गए तो छोड़ने का सवाल ही नहीं है। यह भादमी की नेचर है। अब आप जो कह रहे हैं यह कहां तक व्यावहारिक है इस पर आपको विचार करना चाहिये। अब पन्द्रह सौ में कपड़ा भी शामिल है, मकान का किराया भी उसको हमी में से देना होगा। राजस्वान भादि में एक एम एन ए को 51 रुपया मिल रहा है। हरियाणा जैसा छोटा राज्य भी आपने एस एन ए को 51 रुपये, दो सौ रुपये कन्स्ट्रुयूंगी एन(अन्व फोन का खर्चा भादि देता है। हमारे नैयद मोहम्मद माहब बैठे हुए हैं। ये बड़े रैरिस्टर हैं। 3500 रुपया वह एक केम में ले लेते रहे होंगे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके लिए आपने 3500 रंग बर दिया है और गाडियों का खर्चा और पेंशन भी उनकी आप बरदास्त करने हैं। प्री गमी के अन्दर कोई मन्त्री काम करता है तो उसको आप केवल पन्द्रह सौ देना चाहते हैं इसमें कैमे उसका काम चल सकता है। शायद आप यह उम्मीद करते हैं कि वह एक टाइम जाना खाकर जिन्दा रहे। वनां कैमे उसका इनते रुपये में काम चल सकता है। मेरा विभाग तो काम नहीं करता है। हम खुद हमके शिकार हैं जो छोटी छोटी कोर्ट में बकालत करने वाले हैं पार्लिमेंट में गए हैं। अगर फ्रांडिनरी धोती और खड़ाऊं पहन कर आए तब तो बात अलग है, बिल्कुल सादा रहे तब तो बात अलग है वनां इसमें रखा नहीं जा सकता है। अब आपने इनके लिए लिख दिया है 1500 रुपये और मकान का किराया भी इनको उममें

से देना होगा। विलो में मकानों के कितने किराए हैं इसको आप जानते ही हैं। फिर टेलीफोन का खर्चा है। एक पीछ तक का महीने का छः सात सौ रुपया टेलीफोन का खर्चा आ जाता है। अब आपने उनके लिए रुकम दे दिया है कि पन्द्रह सौ उनको दिया जाए। अदार्शवाद की बात आप करें तो यह बात बिल्कुल ठीक है लेकिन यह व्यावहारिक नहीं है। यह ठीक है कि आप विषमता को कम करना चाहते हैं। आप देखें कि हजारों टन रामायण भारत में बिक गई होगी, कुरान बिक गया होगा, बाइबल बिक गया होगा और लोग पढ़ चुके होंगे लेकिन उनके अनुसार चलता कौन है। हम को धरती पर उतरना होगा। आममान में ही हम उड़ते न रहें।

आप तो जानते ही हैं कि पन्द्रह अगस्त को जब हमे आजादी मिली तब महात्मा गांधी नोआखाती में थे। उन्हें शासन के प्रति आकर्षण नहीं था। बड़े त्यागी थे। लेकिन आम जो भादमी है उसको आप लें। आप चाहते हैं कि मन्त्री को पन्द्रह सौ मिले। मैं सपन्नता हूँ कि अगर आपने इसको कर दिया तो उनकी बीविया उनको तंग और परेशान कर देगी उनकी नींद हराम कर देगी। अगर किसी का भागे पीछे कोई न हो, वह कंबारा हो, मस्जिद, मन्दिर, जिसका घर हो वही पन्द्रह सौ में रह सकता है।

बगने में रहने वाला 1500 रुपये में रहे, और हम उसके यहा जाये और कहें कि चाय पिलाओ और मंत्री चाय न पिना सके तो यह बुरी बात है। मुझे यह बात व्यावहारिक नहीं लगी। मैं आपके भादमी को मानता हूँ लेकिन आपके बराबर इस बात के बारे में नहीं कह सकता। लेकिन मैं प्रार्थना करता चाहता हूँ कि डॉंगी बनने के निस्वत कि बारह से तो बगुला भगत बने रहें और अन्दर से कुछ और हों, तो यह गलत है।

[श्री मूलचन्द डागा]

16 hrs.

मुझे अगर कहा जाये कि कितना रुपया मिलना चाहिये तो मैं तो कहूंगा कि एक मेम्बर पार्लियामेंट को 7 हजार रुपये महीना मिलना चाहिये, अगर उससे काम कराना है। कम-से-कम मंत्री को तो पुरा रुपया देना चाहिये, लेकिन वह काम करने वाला हो। मकान भी हो, उसमें काम करने वाले आदमी भी हों, उसे पूरी सहूलियत होनी चाहिये, सुविधाएं होनी चाहियें। जितनी सुविधाएं दी जायेंगी, आदमी उतना आगे बढ़ेगा, लेकिन उसका सही उपयोग करने वाला होना चाहिये। वह सुविधाओं का उपयोग कैसे करे, यह बात अलग है। एक ऐश में पैसा खर्च कर सकता है और दूसरा देश को आगे बढ़ाने के लिये खर्च कर सकता है। आप पहले एक विधेयक लाये कि मंत्री को 1500 रुपये मिलना चाहिये। उस टाइम में और अब में मंहगाई का बड़ा फर्क है, उस हिसाब से तो अब 5, 6 हजार हो जाते हैं। वह जमाना और था जब महात्मा गांधी ने कहा था कि मंत्री की 500 रुपये माहवार मिलना चाहिये। लेकिन उसके हिसाब से अब मंहगाई बहुत बढ़ गई है। मैं यह चाहता हूँ कि जितना हम आदर्शवाद की बात करें, उतना ही हमें जिम्मेदारी से बढ़ने की बात भी जरूर करनी चाहिये। अब एक मंत्री बड़ा अच्छा काम करता है, लेकिन इस तरह करने से तो कोई भी अनुभवी आदमी रह नहीं सकेगा।

मेरा कहना यह है कि मेम्बर पार्लियामेंट बनने के बाद एक दफे में तो यह मालूम पड़ता है कि मैं कहां हूँ। मुझे अभी तक भी इस गोल बिल्डिंग की कई बातें मालूम नहीं हुईं। जब मैं आया था तो कई दिनों तक यह नहीं जान सका कि कहां क्या होता है। मैं तो सोचता हूँ कि मंत्री लोग भी अफसरों की बारीकी को कैसे पहचानते होंगे। ये बड़े

घुटे-घुटाये अधिकारी होते हैं। ये इतने माहिर और होशियार होते हैं कि इनको समझने के लिये समय चाहिये। अब जैसे ही कोई समझकर तैयार हो और उससे कहो कि तुम जाओ तो सारा काम खराब हो जाता है। उसमें जनता का और पार्टी का विश्वास होना चाहिये। यह तो लोगों पर डिपेंड करता है कि किस को भेजते हैं।

सभापति जी, समय बहुत कम है, मैं तो प्रार्थना करूंगा कि श्री विभूति मिश्र जी अपना यह बिल वापिस ले लें, क्योंकि यह समय के अनुकूल नहीं है।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : सभापति जी, हमारे वयोवृद्ध नेता, उम्र में वयोवृद्ध, भावना से बिल्कुल तरुण, हमारी पार्टी की राजनीति के सन्त कबीरदास, अपनी मौलिकता के लिये विख्यात हैं। यह दूसरी बात है कि इस विधेयक के द्वारा जो उनका मकसद है, वह मकसद बिल्कुल आधुनिक समय के प्रतिकूल है और असलियत से खाली है।

उन्होंने अपने बिल में यह विषय रखा है कि यदि मंत्री महोदय दो टर्म से अधिक अपने पद पर रहते हैं, तो उन का उस पर एकाधिकार हो जायेगा। इसका मतलब यह हुआ कि मंत्री जब पद पर आ जाता है, तो वह उसका दुरुपयोग करता है, और अगर वह दो टर्म तक दुरुपयोग करे, तो चलने दिया जाये, और उस के बाद उस के दुरुपयोग के अवसर पर रोक लगा दी जाये।

हर मंत्री को, जो लोक सभा का सदस्य है, पांच वर्ष की अवधि के पश्चात् जनता के सामने वोटों की भिक्षा मांगनी पड़ती है। प्रत्येक मंत्री, उपमंत्री, राज्य मंत्री और संसद-सदस्य को हर पांच वर्ष के बाद एक कठिन परीक्षा में से गुजरना पड़ता है। अगर जनता-जनार्दन की कृपा हुई, और उन का कार्य अच्छा रहा, तो वह इस संसद में फिर आयेंगे।

लेकिन वह कोई शर्त नहीं है कि अगर वह इसके संसद में आ जाये, तो फिर उन को मंत्री बना दिया जायेगा। कितनी तय्यारी करनी पड़ती है, कितनी तैयारी करनी पड़ती है, कितनी योग्यता दिखानी पड़ती है, और गले के नीचे कितनी उन बातों को उतारना पड़ता है, जो अगर वह उतारना नहीं चाहते हैं, तब प्रावनी मंत्री बनता है। मंत्री बनना बड़ा भारी और मुश्किल काम होता है।

दो-दो कठिन परीक्षाओं में से गुजरने के बाद कोई प्रावनी मंत्री बन सकता है। और वो टर्म तक चलना आज-कल के उमाने में कैसे भी एक बड़ी-भद्रमुठ बात होती है। मैं प्रस्तावक महोदय से कहना चाहता हू कि वह ऐसा प्रतिबन्ध न लगाये।

जैसा कि माननीय सख्त, श्री डागा ने कहा है, नौकरशाही में बड़े बड़े चतुर और काबिल प्रावनी होते हैं, जो अपना सारा जीवन कर्मचारियों में काम करते हुए बिताते हैं। ब्यूरोक्रेसी वह तैयार छोड़ा है, जिस की लगाम अगर खींच ली जाये, — टाइट कर दी जाये, तो प्रावनी उभट जायेगा, और अगर उस की ढील दे दी जाये, तो न मालूम कितनी दूर, किस खरई खंफ में आ कर गिरेगा। नये नये मंत्रियों के लिए शुरू में इस को सम्भालना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जो मंत्री अनुभवी और कुशल होगा, वही ब्यूरोक्रेसी को सम्भाल सकेगा। यह स्पष्ट है कि मंत्री जितना अनुभवी होगा, वह शासन को उतना ही दृढ़तापूर्वक और कुशलतापूर्वक चलाने में सफल होगा।

जहां तक वेतन पर हदबन्दी का सम्बन्ध है, मैं यह नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि कराची का कांग्रेसेशन लगभग 30, 40 साल पहले हुआ था। उसमें कहा गया था कि मंत्री की तनखाह 500 रुपये से अधिक नहीं होगी। उसके बाद इतना जमाना बीत गया है।

अगर 500 रुपये में प्रभुता से बुद्धि की-जोये, तो वह रकम 1500 रुपये से कहीं अधिक होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई प्रावर्धबाध की सीख देना काफ़ी नहीं है। माननीय सख्त असलियत को देखें। विल्ली में एक-एक मंत्री के वहां पचासों प्रावनी आते हैं। मुझे याद है कि एक मंत्री के वहां विचार-पत्र-दुआ था, तो स्वयं प्रस्तावक महोदय ने कहा था कि तनखाह हम लोगों की बढ़नी चाहिए, जिनके वहां पचासों प्रावनी आते हैं और ठहरे रहते हैं। वहां पर सख्तों का तो काम चलता नहीं। हजार रुपये में मंत्री मकान का किराया खलन देते हैं, मंत्रियों की तनखाह अगर 1500 रुपये रखी गई और उसमें मकान का किराया प्रावि भी शामिल है तो हम समझते हैं कि न तो कोई योग्य प्रावनी प्राणा और न काम ठीक तरह से चलेगा। यह देश केवल बिनेबा भावे या महात्मन गांधी या अन्य वरिष्ठ और सुयोग्य संन्यासियों का ही नहीं है। इसमें हर प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, हर प्रावनी का परिवार होता है, उनका दायित्व होता है समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति और अपने प्रति। यहां पर सेंट्रल हाल में बैठे हुए 15-20 रुपये प्रावि काफ़ी में उड़ जाते हैं। तो फिर यह कैसे चलेगा? यह संन्यासियों के लिए राज नहीं रखा गया है। राज्य में जो कोई भी होगा, जिसको कि अधिकार और सुख प्रावनीय है उसको लामुहला अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाना पड़ेगा। तनखाह उसकी अच्छी होगी। यूरोप के देशों को देखिए, अमेरिका को देखिए, सब जगह जो विधायक हैं उनकी तनखाह हम लोगों से कई गुना ज्यादा है और मंत्रियों की तनखाह तो उनके बुकाबिले में वहां कुछ है ही नहीं... (अध्यास) ... मंत्री को 18 हजार पाँच मिलते हैं जैसा कि प्राव्य जी निवेदन कर रहे हैं। इसलिए इन सब बातों को करने से कोई नतीजा नहीं निकलता है। हमें तो चाहिए कि जन-साधारण के बुद्धिकोष से देखें। पार्लियामेंट का जीवन भी एक

[श्री बी. धार • मुम्बई]

कॉन्ग्रेशन की तरह से है। अगर कोई धादमी बहुत ड्रिलिंग है, धाई तो एस हो जाता है, जब होता है, एडमोकेट होता है, डाक्टर होता है तो सब जगह तो मनमानी घन कमाए और अगर किसी को यह शौक पैदा हो गया कि हम यहाँ संसद् के सदस्य ही जायं तो इसके नामी यह है कि अपने पेट पर और कमर पर धारों और कस कर पट्टी बांध लें और केवल एक यह कहे कि हम बड़े बड़े संन्यासियों को मानने वाले हैं। जहाँ जहाँ भी देश के बड़े से बड़े नेताओं ने चाहे वे धार्मिक रहे हों चाहे राजनैतिक, असलियत से अपनी धांधल बन्द कीं, असलियत से हट कर बात की वहाँ वहाँ उनका फेन्डोर हुआ। महात्मा बुद्ध ने कहा कि केवल भिक्षु होने, स्त्रिया भिक्षुणी नहीं होंगी लेकिन बाध में यह नहीं चला। स्त्रियां भी भिक्षुगी बनाई गईं। उन्होंने कहा कि किसी जानवर को हत्या नहीं करनी चाहिए। आज चीन और जापान सब जगह देख लीजिए, बौद्ध धर्म के मानने वाले सभी जानवरों की हत्या कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि धार्मिकों की तरफ धाप बार बार क्यों देखते हैं? रूम में जब जार का शासन था उस जमाने में ये होना था कि बड़े बड़े घरानों की स्त्रियां थियेटर देखने जाती थी और रात में लौटती थीं तो अपने कोचवान को जो बिना बस्त्र के ठिठुरते हुए होते थे, उनको कोड़े मारती थी और थियेटर में जब गरीबों का चित्र दिखनाया जाता था, उनकी गरीबी दिखलाई जाती थी तो मिमक मिमक कर रोती थी। शमशान में जाय तो धादमी को बेराम्य पैदा होता है और जैसे ही वहाँ से लौटते हैं फिर दुनियावी कामों में वह लग जाते हैं। मे चाहता हूँ कि बास्तविकता और धादम्य दोनों में सन्तुलन होना चाहिए। हमें गरीबों के लिए हमदर्दी है, हम चाहते हैं कि गरीबों की दशा सुधरे। उसके लिए कानून पास हो रहे हैं, सम्पत्ति पर हदबन्दी लगायी जा रही है। इन सब से यह होगा। महज

धार्मिकों की उपजवाह कम कर देने से, उनको भिक्षुत्व बना देने से या उनका खून लहव देना बना देने से कि अगर उनके वहाँ दस धादमी या जायं तो बैठने के लिए कुर्तियां भी न पाएं, इससे कुछ नहीं होगा।

अगर धाप चाहते हैं कि बिचमत्ता दूर हो तो ये हमारे साथी जो उस तरफ बैठे हुए हैं जो सोवियत रूस की प्रणाली के हाथी और सामर्थ्य हैं, उनकी तरह से उस ढांचे को अगर धाप ला सकें इस देश में तो तब कहीं ऐसे धादम्य को कार्यान्वयन की कल्पना धाप कर सकते हैं। लेकिन दूर के डोल सुहावने होते हैं। तब गारण्टी यह करनी पड़ेगी कि हर मिनिस्टर और मेम्बर के बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे और जनसाधारण के बच्चे भी उसी में पढ़ेंगे। हर धादमी के लिए सवारी का इन्तजाम होगा, हर धादमी के लिए घर होगा, निःशुल्क दवा मिलेगी, निःशुल्क शिक्षा उनकी मिलेगी, निःशुल्क न्याय मिलेगा। अगर धाप चाहते हों कि ऐना महाजवादी ढांचा इस पूजोवादी व्यवस्था के स्थान पर इस देश में स्थापित करे तब धाप इस किस्म की कुछ बातें कर सकते हैं हालांकि जो कुछ सूचना मुझे है वह यह है कि वहाँ उन देशों में भी जो पूर्ण रूप से साम्यवादी प्रथा पर आधारित हैं, वहाँ पर भी किसी न किसी प्रकार का कुछ फर्क है। जब वहाँ पर है तो यहाँ पर धाप कैसे इन चीज को कर सकते हैं। इंग्लैंड में अपने ज्येष्ठ नेता से अपनी कलगा मि आपने बहुत अच्छा मोका हन लोगों को दिया अपने बिचारों को प्रकट करने के लिए लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि मेरे ब्याल से विश्व जो ने एक बात सोची कि सब लोड धारों तरफ से आज देश में चिल्ला रहे हैं कि कि दो टर्म से ज्यादा किसी को भी लोकतन्त्र का सदस्य बनने का मोका न दिया जाये इनलिए यह रोक मन्त्रियों पर लगा दीजिये जिससे कुछ सनझौता हो और उसमें हमारा भी फायदा हो जाये। दो-तीन मिनिट टर्म की बात हमारे ऊपर भी लगू न हो सके।

सभापति महोदय : इस विधेयक के लिए निर्धारित समय 4.35 पर समाप्त हो रहा है। सभी चार सदस्यों के नाम और हैं, फिर मन्त्री जी और फिर श्री विपुल किश्र जी हैं। या तो सदन इनका कम से कम एक घंटा समय बढ़ाये या फिर मैं मन्त्री जी को बुलाऊं।

क्या सदन की इच्छा है कि एक घंटे का समय बढ़ा दिया जाये ?

कुछ माननीय सदस्य : जो हा।

सभापति महोदय : इन पर एक घंटे का समय बढ़ाया गया। श्री एस० एम० बनर्जी।

श्री एस० एम० बनर्जी : (कानपुर) : सभापति महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं मिश्र जी की बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि वे हमारी पार्लियेन्टरी डिमोक्रेसी की उन ईंटों में से हैं जिनके बूने पर यह इमारत खड़ी है लेकिन कभी सामने नजर नहीं आती। इसके लिए मैं उनकी तारीफ करूँगा। दो टर्म के बारे में उन्होंने कहा है। हममें मैं माननीय शुक्ल जी की बात मानता हूँ यानी दस साल तक मन्त्री जो चाहे करें। 11वां साल लग जाये तो उसको हटा देना चाहिए, शायद उनका खयाल है कि दो टर्म से ज्यादा रहने से ही शायद वह कुछ ऐसे काम करने लग जायें जिसकी वजह से उसको नहीं रहना चाहिए लेकिन मैं समझता हूँ जिसे छठवां बार की तरफ जाना है वह 6 महीने में भी उधर जा सकता है और सारा जीवन भी छठवां बार की ओर नहीं जा सकता है। इस तरह के उदाहरण हमारे देश में मौजूद हैं। अगर हम यह कहते हैं कि दो टर्म ही रहना चाहिए तो वे भी उसी तरह अपने प्लानिंग कर लेंगे। होना तो यह चाहिए कि किसी मन्त्री को मामूली न हो कि वह कब हटाया जा रहा है। इस तरह से उस पर एक संकुश रहे, रोज सबेरे वे सोचें कि आज हम जा सकते हैं, इस तरह से

हर भावमी ठीक काम करेगा। वही चीज आज ही भी रही है और होनी भी चाहिए। हर कोई समझे कि उसकी नोकरी पक्की नहीं है। आजकल दिल्ली शहर में एक मजाक है, वह सही भी है कि किसी अपराधी को मन्त्री ने अपमान कह दिया। इस पर लोगों ने उससे कहा कि तुम भी कुछ कह देते तो उसने कहा कि कौन मुंह लगे, वे टेम्पोरेरी हैं और मैं परमानेन्ट हूँ। यह भावना भी लोगों में आती है कि मन्त्री लोग टेम्पोरेरी होते हैं।

सभापति महोदय, मैं शतरंज का खिलाड़ी हूँ, शायद मिश्र जी भी शतरंज खेलते होंगे क्योंकि वे मुझे ज्यादा ज्ञान में रहे हैं। शतरंज में पैदल की चाल खेलते खेलते जब वह पैदल बजीर बन जाता है तो तिरछा चलने लगता है, फिर उस पर कोई भी रोक-टोक नहीं लगती। सारे 64 घरों में चल कर वह शतरंज भी बाकी जीन सकता है। इसी तरह से हमारे पंडित जो शायद बबराते हैं कि पार्लियेन्ट के जो मेम्बर हैं वे सी ठीक चयन रहे हैं, एक एक घर चलते हैं लेकिन जहां वे मन्त्री बनें, उनका तिरछा चलना शुरू हो जाता है। उनके तिरछा चलने को रोकने के लिए संकुश रहना चाहिए। लेकिन वह केवल दो टर्म रहे—मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। मैं समझता हूँ कि यह गलत होगा। आजकल तो ऐसे मन्त्री बहुत कम होंगे जिन्होंने दो टर्म पूरे कर लिये होंगे, यहां तो कुछ महीनों का ही सवाल है। इसलिये मैं समझता हूँ कि ऐसे मौके पर हमकी न लाया जाय।

जहां तक 1500 रुपये की बात है— बहुत अच्छा सुझाव है। लेकिन जब यहां सदस्यों की तनख्वाह 500 रुपये माहवार बढ़ाई जा रही थी और मैंने उसका विरोध किया था, तो मुझे कहा गया कि यह डेमोक्रेसी है, तब तब की बातें उस वक्त मुझे कहीं नहीं थीं। जब इसको 500 रुपये से बढ़ा कर 1000 रुपये किया गया, तब भी ऐसा ही कहा गया था, तब फिर मन्त्रियों से हम ऐसी

[श्री एम० एम० बनर्जी]

उम्मीद क्यों करते हैं। क्या आप यह चाहते हैं कि हम जब उनके यहां जायें तो वे हमारी कोई खातिरदारी न करें, 1500 रुपये में वह कैसे काम चलायेंगे। मेरी समझ में आप की यह बात नहीं आती है, देखने और सुनने में तो यह बात बहुत अच्छी लगती है, सिम्पल लिविंग जरूर होना चाहिये, लेकिन वास्तविक रूप में देखें तो यह बिल आना नहीं चाहिये था। इससे क्या होता है—जब हम कोई ऐसी चीज लाते हैं तो देश में मजाक बन जाता है। आप सदस्यों का वेतन बढ़ाने के लिये बिल लायें, उसका क्या परिणाम निकला, लोगों को प्रचार करने का मौका मिला कि इन को इतनी सहुलियतें मिलती हैं। लेकिन असलियत क्या है। सभापति जी, हमारे ऊपर टेलीफोन का ही इतना मोटा बिल आता है कि हालत खराब है। यहां पर टेलीफोन कटवाय या वहां पर टेलीफोन कटवाय, क्या करें। 17000 रुपये का टेलीफोन का बिल है। कोई दिल्ली आता है तो पहले टेलीफोन पर जाकर कहता है कि हमारे घर पर खबर कर दो कि हम दिल्ली पहुंच गये। बतलाइये, कैसे उस को मना करें। जो आदमी गाड़ी में बैठ कर आया है वह दिल्ली तो पहुंचेगा ही, लेकिन कुछ कहा नहीं सकते, क्योंकि खतरा है, कहीं एक वोट कम न हो जाय।

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1500 रुपये में एक मिनिस्टर को काफी दिक्कत होगी एक तरह से इसको घटाना मजाक होगा। इसलिये मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और पंडित जी से गुजारिश करता हूं कि वे इसको वापस ले लें। इसमें शक नहीं है कि वे जिस बिल को लाये हैं, उसकी भावना की मैं बहुत तारीफ करता हूं, लेकिन पहले चीजों के दाम गिरने दीजिये, अगर यह उस लाइन पर भी आ जाय जब उन्होंने यह बिल पेश किया था, तब यह ठीक होगा उस वक्त तो हम भी 300 रुपये में

चलाने को तैयार हो जायेंगे। जिस वक्त मैं एक क्लर्क था और मुझे 150 रुपये माहवार मिलते—उस वक्त मैं ज्यादा सुखी था, आज तो इतनी तनखाह और एलाउन्स मिलने के बाद भी समझ में नहीं आता कि कैसे गुजारा होगा। इसलिये मैं आप से दरखास्त करता हूं कि आप इस बिल को वापस ले लें, लोगों के सामने इसका मजाक न बनने दें।

SHRI SHYAM SUNDER MOHA-PATRA (Balasore): Sir, when Roosevelt was elected for the fourth time the girls from the universities came and kissed—not his cheeks—his lips. So, Sir, a man should not be debarred from becoming a minister even if he has completed his second term.

Mr. Chairman, Sir, a man of your calibre has been a minister only for one term and even if you had completed your third term of minister-ship probably you would have been still younger in age to Shri Bibhuti Mishra. That is why I want this Bill should be withdrawn by Shri Mishra.

I can appreciate the viewpoint of Shri Banerjee that in his fatherlands the leaders continue to be leaders until their death. Stalin continued to be the Prime Minister until his death and Mao Tse Tung is still continuing as the Chairman in spite of his old age. A minister is a leader and not a bureaucrat. If he enjoys the confidence of masses there is nothing wrong if he continues to be the Minister, Prime Minister or President till his death. Pandit Nehru was ever young until his death. The question that a minister should be a minister for not more than two terms does not lie in him. It lies with the people and the voters. We are going to be a socialist State. That means we will believe in the capacity of the people and the party who leads the country. If the party feels here is a Minister who can deliver the goods—no matter whether he has served two terms—he should continue to be a minister.

If a Minister is in power for ten years, he does not monopolise power. Power today remains with the bureaucracy. While going in train, I find that an MP who is elected by the votes of 7 lakhs of people goes by first-class while a Joint Secretary moves by an air-conditioned compartment. The Minister cannot take a saloon if he goes in a railway train, but a member of the Railway Board takes an air-conditioned saloon, a General Manager takes an air-conditioned saloon. What a difference? Where is the power? Power remains with the Minister or the bureaucrats? We have to change the very structure of our society, so that when a member becomes a Minister, he can wield power. What a difference in salary?

I appreciate the intention underlying the Bill moved by Shri Bibhuti Mishra. What is the income of a bureaucrat? Probably he retires on Rs. 3,000. If an ICS, he will retire on Rs. 3,500. What are the amenities they enjoy? Wherever they go, all free, free car, free benefits, free alcohol, free nights, all benefits free. It is common knowledge that a Secretary to Government is the real ruler. We have got to change the structure of society.

AN HON. MEMBER: Moghul.

SHRI SHYAM SUNDER MOHAPATRA: Moghul, he enjoys imperial power, he enjoys royal power. Our people nowadays are so confused that they think about a Member of Parliament, 'Oh, what a life he maintains?', they think about a Minister, 'Oh God, what a life he leads? He has a car, his son is reading in a convent school?'. Do they know that bureaucrats keep secret accounts in Switzerland? These officers go ten times a year to foreign countries and enjoy right royal treatment at the hands of international tycoons and multinational companies. Do our people know, does a Gandhiite and a saint like Shri Bibhuti Mishra know where power lies? Power does not lie with

the Minister. It lies with the bureaucrats, with the system, which we want to cut at the very root.

Shri Bibhuti Mishra is a Gandhiite. He really believes that a Minister should not get more than Rs. 1500. Very true. When Mujibur Rehman came to power in Bangladesh, he said: 'No Minister in my country should get more than Rs. 1000'. What happened? The whole bureaucracy revolted, Bureaucrats who enjoyed life under Ayub Khan, Yahya Khan and others, who were exploiting the people said 'What is this? Thousand rupees. No, no. He should go'. They colluded with CIA and other foreign agents and we know what a tragic end he met with. Another thing. Shri Bibhuti Mishra thinks that a Minister can enjoy a good life with Rs. 1500. Already Shri Daga and others have spoken about the sad lot of an M.P. Take telephone bills. My liability on this account is Rs. 5000 in my constituency and Rs. 4000 here. The STD system is a big nuisance. The guest of an MP will immediately dial Bombay or Hyderabad or Srinagar. Suppose I am in the bathroom for five minutes; he will dial Bangalore. When the Bill comes, we know what a sad Bill it is. This Rs. 1500 is certainly not a big amount.

I personally feel that Shri Bibhuti Mishra should concede that a Minister is not a person who is enjoying a monopoly of power. The Minister is not one who is going to be a very rich man with Rs. 1500. So I hope appreciating all this Shri Bibhuti Mishra will withdraw the Bill.

श्री डी० एन० तिवारी (गोपालगंज) :
सभापति जी, जब श्री संजीव रेड्डी कांग्रेस के प्रेजिडेंट थे तो एक मर्तबा उनको इलहाम हुआ था और उन्होंने कहा था कि दस वर्ष से अधिक कोई पावर में नहीं रहे और उसको कार्यान्वित करने के लिए उन्होंने सरकुलर वगैरह भेजा था जबकि वे स्वयं 12-14 वर्ष पावर में रह चुके थे और बाद में भी पावर में रहना चाहते थे। कभी कभी यही इलहाम

[श्री डी० एन० तिवारी]

मिश्र जी की भी प्राया करता है। एक वक्ता उन्हें इलहाम प्राया कि राज्य सभा प्रबालिश कर दो और यह जानते हुए कि हमारे कहने से राज्य सभा प्रबालिश नहीं होगी फिर भी उन्हें इलहाम प्राया। अब उनको इलहाम प्राया कि मिनिस्टर्स का महीना कम हो जाना चाहिए। महीना कम क्यों होना चाहिए इसलिए कि वे काम नहीं करें या घन खोजने के दूसरे उपाय सोचें। अगर किसी के पास खाने को कम हो, सुविधा कम हो तो वह कोई रास्ता खोजेगा जिससे कि उसकी पूर्ति हो सके। रास्ता खोजने वाले को रास्ता मिल भी जाता है। क्या मिश्र जी का यही इंटेशन है कि लोग रास्ता खोजे और गलत रास्ते से जाकर अपना भरण पोषण करें? अगर यह इंटेशन है तो बात दूसरी है। नहीं तो कोई भी सेसिबल प्रादमी यह नहीं कह सकता है कि प्राज के युग में उनका 15 सौ रुपये महीना सीमित कर दिया जाय और इससे उनका काम चल सकता है।

हमारे साथियों ने कहा कि हमें क्या क्या करना पड़ता है हमारे ऊपर क्या क्या जिम्मेदारिया हैं। हम लोग जो मेम्बर आफ पार्लियामेंट हैं वह सोचते हैं कि एक प्रमेम्बली के मेम्बर को इतना मिलता है और उनके मुकाबले हमें कम सुविधाएं मिलती हैं। जब हमको साठे सात हजार टेलीफोन काल्ज फ्री हैं तब भी हमारा इतना बिल प्रा जाता है। साल भर में पाच-सात सौ रुपये का तो प्रा ही जाता है। वह भी ट्रन काल्ज का नहीं, अगर ट्रन काल्ज करनी पड़े तो न मालूम कि बिल कहा चला जायगा। एक सदस्य ने कहा कि जब हम बाथ रूम में होते हैं तो पटना, बगलौर, न जाने कहा कहा लोग टेलीफोन कर बैठते हैं। शायद मिश्र जी ने यहा कोई ऐसा नहीं करता होगा, इस वास्ते उनको इमका अनुभव नहीं है।

समापति महोदय : मिश्र जी की तरह आप भी टेलीफोन में ताला लगा कर रखिये।

[श्री डी० एन० तिवारी : शायद लोग उनको खया कर सकते हैं, हमकी खया नहीं कर सकते। हम यह नहीं कर सकते हैं।

मैं मिश्र जी से कहूंगा कि वे यह सब इलहाम की बातें जानें हैं और प्राज को परिस्थिति है उस पर विचार करें और इस बिल को वापस ले लें। जब हम को पाच सौ रुपये मिलते थे तो हमारा काम नहीं चलता था और हमने उसको बढ़वाया। अब हमको एक हजार रुपये मिलते हैं और ससद् के सेशन के दिनों में 51 रुपये रोज मिलता है तो भी हमारा काम नहीं चल पाता है। अगर प्राप मिनिस्टर को 15 सौ पये देना चाहते हैं तो 51 रुपए रोज उनको भी मिले तब उनका काम चल जायगा। लेकिन उनको कोई भत्ता नहीं मिले और उनका 15 सौ रुपया कर दिया जाय तो उनकी पूर्ति कैसे हो सकेगी। इस तरह तो उनको हम से भी कम मिलेगा। एक बार खया तो हमें मिलता है और संसद् के सेशन और कमेटियों की बैठको का जो हमें भत्ता मिलता है उसका करीब सात सौ प्राठ सौ रुपया महीना हो जाता है। इस तरह हमें 17-18 सौ रुपये मिल जाता है। अगर मिनिस्टर का 15 सौ पये कर दिया जाय और उन्हें 51 रुपये रोज भत्ता भी नहीं मिले तो वह तो हमसे भी कम हो जायगा। अगर उनको 51 रुपए रोज भत्ता दे दिया जाय और उनका 15 सौ रुपये महीना सीमित कर दिया जाय तो ठीक कहा जा सकता है। नहीं तो हम उनसे यह कहेंगे कि तुम कोई दूसरा रास्ता अपनी पूर्ति के लिए खोजो जिससे तुम गुजारा कर सको। ऐसी स्थिति मिश्र जी पैदा न करें।

समापति महोदय : मिश्र जी के कहने के मुताबिक तो और भी कम हो जायगा। अब मन्त्री को 2,250 रुपये मासिक मिलता है और उसमें से 500 रुपये माह इनकम टैक्स में चला जाता है।

[श्री डी० एन० तिवारी : अगर उनका 1,500 रुपया कर दिया जायगा तो फिर

इसका टैक्स देकर उन्हें 1,100 रुपये १ रह जायदा जबकि इन लोगों का 1,700 पये होना भी वह भी टैक्स की। तो शायद उन्होंने यह कभी सोचा नहीं है इसी वास्ते वह किस ले भाये हैं। मैं समझता हूँ कि इस सुझाव के लिए वह ज्यादा प्रेरित नहीं करेंगे।

SHRI N. K. P. SALVE (Betul): Sir, one must say in all deference to Bibhuti Mishraji, a venerable senior member of this House, that the sentiments as can be ascertained from the objects of the Bill are indeed very laudable. However, if one were to critically examine the provisions of the Bill, it is impossible to understand the logic of the Bill or the rationale of the Bill.

My first and foremost submission is that by this Bill article 75 of the Constitution is sought to be amended, and a proviso is sought to be inserted to the effect that no one would hold office as minister for more than two terms. For this proposal the author has said in the statement of objects and reasons of the Bill that the main purpose is to remove the monopoly of power. If anyone remains in power as minister for more than two terms, he monopolises power and to retain such monopoly, indulges in all sorts of malpractices. This is a classical example of fallacy. The whole thing proceeds on the assumption that a minister by remaining in power for more than two terms monopolises power. My respectful submission is, firstly, a minister is there not because he has any right as such to be there. He is there because the Prime Minister chooses him to be there. Secondly, in a democracy, monopoly of power can never be in the hands of any minister; it is not there even in the Prime Minister's hands. It is not there in the hands of this House even. In a democracy, the people are supreme and they alone monopolise power in this country. Therefore, this assumption is untenable and monopoly of power cannot come about by anyone remaining in authority for more than two terms.

With great respect to the author of the Bill, I submit that the second proviso that is sought to be inserted is an example of sheer ridiculousness. The second proviso states that the salary of a minister, including the rental value of the furnished residence provided to him, shall not exceed Rs. 1500 per mensem! I hope rental value means the market value. The market value of the house of Dr. Seyid Muhammad would not be less than Rs. 3000 P.M. should be return the balance of the money? Even if he came to occupy my servant's quarter, it is not possible to live within Rs. 1500. Car, chauffeur, everything is included in it. A part of it will go by way of tax and from whatever is left, living within that amount is only possible if the minister concerned lives in the servant's quarter. So, a third provision need to be made that the Secretaries will live in posh bungalows and the ministers will live in the servants' quarters. My respectful submission is, this is an utterly untenable proposition. What really hurts me is that it does not reflect very well upon the entire parliamentary life in the country. There is already an erroneous impression in the country that Members of Parliament are enjoying lawish facilities like free telephones, free travel, etc. and further, it is in our own hands to increase our emoluments to any extent. People do not realise how onerous and how cumbersome are the obligations of the people who are elected to this House. Compare ourselves with the elected representatives in the United Kingdom or the United States of America. Naturally, these are far richer countries and so real comparison is not possible. But they are getting 25 to 30 times what we are getting.

After all, in public life the elected representatives ought to get a certain amount of reverence, a certain amount of respect from the people. Otherwise, the whole parliamentary life will become ridiculous. It is true that Shri Mishra is a great Gandhian.

[Shri N. K. P. Salve]

Ostensibly it appears wonderful that simple living and high thinking ought to be the order of the society. That is only possible only if in the world all people live like Gandhiji lived. That is just not at all possible.

Someone was complaining about the telephone facilities. One day the hon. Minister of Communications was asked for information in the House about Members who are in default in the payment of telephone bills, when Shri Bahuguna was the Minister in charge, he announced the names and I found that my name was at the top and the amount outstanding was Rs. 20,000. When I went home and asked my Secretary how it is that such a huge amount was outstanding, he said that people from my constituency had been coming and booking STD and trunk calls. Just before the election people come to Delhi, seeking for tickets. They came and stayed in my house. Feeding 50 people is strenuous enough, but that cannot be avoided. But, in addition to that they use my telephone and book calls to Bhopal and Nagpur. The result is that out of my hard-earned money I had to pay Rs. 20,000. We cannot tell our guests not to use the telephone.

When I entered my parliamentary life I thought I would be able to devote my entire time to politics and parliamentary life. But very soon I realised that I was getting a very meagre amount from Parliament with which it was impossible for me to carry on my living here and maintain a house at Nagpur, where my family lives. It is impossible for any elected representative to maintain himself and maintain another house at another place with the meagre amount he gets from Parliament. So, I had to restart my profession. That is how we live.

Therefore, my respectful submission to Shri Mishra is that he should be magnanimous to withdraw his Bill. We respect his sentiments. We know that he is a Gandhian. But this sort

of Bill] does not augur well to the image of the entire parliamentary life of the country.

श्री कमला मिश्र 'मधुकर' (केसरिया) : सभापति महोदय मुझे माननीय सदस्य, श्री मिश्र, के प्रति बड़ा आदर है, लेकिन मुझे पालियामेंट्री जीवन की एक घटना यदि आती है। स्वर्गीय डा० राम मनोहर लोहिया जब इस सदन के सदस्य थे, तो वह भी एक ऐसा बिल लाये थे कि एक मन्त्री पर 1500 रुपये से अधिक खर्च नहीं होना चाहिए। बाहर बात होने पर उन्होंने कहा कि देखो, हमने कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया है। हमने कहा कि आपने यह अच्छा किया है कि यह बिल पेश किया है कि मन्त्री पर 1500 रुपये से अधिक खर्च नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने बिड़ला और टाटा के बारे में क्या किया है—उन पर रोक लगाने की कोई बात नहीं की है।

मुझे लगता है कि यह बिल ठीक वैसा ही है। आज हमारे समाज में पूंजीवादी राज्य है और पूंजीवादी व्यवस्था है। यह ठीक है कि हमारे संविधान के अनुसार जनता सर्व-प्रभुसत्ता सम्पन्न है, लेकिन उस शक्ति का वास्तव में इस्तेमाल कौन करता है? वास्तव में उसका इस्तेमाल बिड़ला, टाटा और वे 75 परिवार करते हैं, जिनके खिलाफ सत्तारूढ़ दल और सरकार लड़ने की बात करते हैं, और हम लोग जिन के खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं। मुझे खुशी होती, अगर श्री मिश्र इस आशय का बिल लाते कि इस मानोपली को समाप्त किया जाये। इस मानोपली पर नियन्त्रण लगाने के लिए सरकार ने एक कानून बनाया। लेकिन मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा है कि वह कानून लागू होने के बाद भी मानोपली बढ़ती जा रही है। मानोपली का खतरा आज भी हिन्दुस्तान में बहुत ज्यादा है। यह सन्दर्भ है हमारे देश में। इस सन्दर्भ को छोड़ कर साल्वे जी ने और दूसरे सदस्यों ने भी बहुत ही उचित तर्क उठाए

है कि जो अडोप्टेड है, आई० सी० एन०, आई० ए० एड० ऑफिसर हैं, उनको प्रायः 2 हजार, आई० हजार सनबोह दीजिए और जो ट्रेन्ड होते हैं 25 वर्षों में, जिनके जीवन की ट्रेनिंग होती है अनुभवों से, उनके लिए प्रायः कहिए कि वस साल से अधिक भी मिनिस्टर न रहे और पन्ध्र ही से अधिक इन को तनबवाह न भी प्राय, इनसे बच कर हास्यास्पद बात क्या हो सकती है। इन देश के सन्दर्भ में, पूजीवादी राज्यतन्त्र के सन्दर्भ में। पूजीवादी स्टेट मशीनरी में जो अ्यरीमेनी का सन्दर्भ है उसको बिना समझें हुए यह कह दिया जाय कि 1500 रूपया मिनिस्टर को तलब मिले और दो टर्म से ज्यादा वह मिनिस्टर न रहे, इनका यह भी मतलब है कि दो टर्म से ज्यादा मिनिस्टर क्या प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रह सकता है। यह बुनिया के अन्दर कही भी नहीं है, किसी जनतन्त्र में नहीं है और समाजवादी मूलको में भी नहीं है। समाजवादी मूलको में जो नेता होते हैं वह कैसे होते हैं? नेता कोई ऐसे नहीं हो जाता है। उसके अन्दर कुछ बन्धुज होते हैं, उनके द्वारा ही वह अपनी पार्टी का नेतृत्व करता है और मासेजे का नेतृत्व करता है। प्रायः देखें माघो-त्से-गुग की कितनी भ्रालोचना हम करते हैं, हमें अपना समर्थन नहीं करते, लेकिन तमाम भ्रालोचनाओं के बावजूद माघो-त्से-गुग चीन की गद्दी पर बैठे हुए हैं और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में पावर होल्ड कर रहे हैं। सारी भ्रालोचनाएँ हम लोग करते हैं, बुनिया की कम्युनिस्ट पार्टीया भ्रालोचना कर रही हैं तब भी वह गद्दी में बैठे हुए हैं। तो इन माने में जब हम देखते हैं और फिर यह कहते हैं कि दो टर्म से ज्यादा कोई पार्लियामेंट का मेम्बर न रहे, दो टर्म से ज्यादा कोई नेता न रहे, कोई मिनिस्टर न रहे तो यह बिल्कुल रिडिकुलस बात है। यह यथार्थ की बात नहीं है। यह बिल्कुल प्रादर्शवादी बात है जिसका कि बहुत अच्छी तरह से हमारे वैनर्जी साहब ने मजाक उड़ाया है। इपीलियर में कह रहा

है कि इस बिल में कोई यथार्थ मान नहीं है, राजसत्ता का प्रांग नहीं है, इस सन्दर्भ का प्रांग नहीं है, देश की परिस्थिति का प्रांग नहीं है, केवल एक प्रादर्शवादी कल्पना है लोगों के कहने के लिए। दरअसल जो लोग सादगी की बात करते हैं लोगों के सामने, जोबन् के अन्दरकी पहलुओं में उनका सादगी के साथ कोई मेल नहीं रहता है। जो टाटा और बिरेला की बफादारी करते हैं और उसके बाद सादगी की बात करते हैं तो यह क्या है? यह तो कथनी और करनी में कोई मेल नहीं हुआ। यथार्थता होनी चाहिए। जो वास्तविकता है उससे दूर नहीं जाना चाहिए। अभी हमारे माननीय सदस्यो ने भी बहुत सी बातें कही हैं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं यह कह रहा हूँ कि कथनी और करनी में मेल की बात होनी चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि हम लोगों के सामने एक डेमोग्राफी करें कि हमारा खानपान सादा होना चाहिए, हम को एक ही कुर्ता रखना चाहिए, हमको इतनी छोटी धोती खादी की पहननी चाहिए। जमाना तो टेरीलिन, टरिकाट और डेकोरान का हो रहा है, विज्ञान में इतनी प्रगति हो रही है और ऐसे जमाने में हम यह कहें कि हाथ से काने हुए सूत का कपड़ा ही देश में सबके लिए अनिवार्य होगा तो बन्द कर दीजिए टेरिलीन, टेरीकाट और नाइलोन की सारी फैक्ट्रियो को। यह इसका लाजिकल कान्क्लूजन होता है। इसलिए लाजिकल कान्क्लूजन के रूप में भी यह बिल मानने लायक नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि यह बिल यथार्थवादी दृष्टिकोण से सोचा हुआ नहीं है, व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी सोचा हुआ नहीं है और जो पूजीवादी राजसत्ता के अन्दर स्थिति है उस दृष्टिकोण से भी सोचा हुआ नहीं है। किसी भी दृष्टिकोण से सोचा हुआ यह बिल नहीं है, केवल डेमोग्राफी है, एक भ्राम्यप्रवचना है और कुछ नहीं है। इसलिए इस बिल को सदन को रिजैक्ट कर देना चाहिए और खुद माननीय मिश्रा जी को भी अपने प्रायः इसे धार्य से लेना चाहिए। बिना सोचे समझे

[श्री कमल कुमार मिश्र]

उन्होंने यह किस का विद्या, बहुत भी हो गई और पार्लियामेंट का समय भी इसमें गुजरा जो मैं समझता हूँ कि बेकार की बहुत में ही गुजरा। इसमें कोई वास्तविकता नहीं की।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (DR. V. A. SEYID MUHAMMAD): Bibhuti Mishraji has introduced this Bill to amend article 75 of the Constitution. In the first part of the Bill he proposes to introduce a provision to the effect that no Minister shall continue in office for more than two terms. In the second part he wants to restrict the pay of a Minister, including amenities, to Rs. 1,500 per month. Mr. Bibhuti Mishra is a very respected, venerable veteran, both inside and outside Parliament; his opinions and sentiments are highly respected, he is a person who has seen the rise and fall of many a Minister, he has seen Ministers rising to that office and fading away, so that his opinion, based on experience and idealism, is very well respected. Some of the hon. members who spoke like Mr. Salve, Mr. S. M. Banerjee, Mr. Tiwary, Mr. Mohapatra, Mr. Madhukar and many others have put forward very strong arguments oppoing the Bill. Therefore, my efforts will not be very extensive: I need not deal with them in detail.

The first part of the Bill is that the term of a Minister should be confined to a maximum of two terms. From the speeches of the hon. Member who introduced the Bill and of those who supported it, it appears that the main reason is that, once a Minister continues for two terms, he monopolises power in the sense that continuation in the office for such a long time is, in itself, bad, and apart from that, by the time he has been in office for a long time like ten years, or twelve years in the case of Rajya Sabha, he acquires certain propensities which are not desirable in a Minister. Mr. S. M. Banerjee has rightly pointed out that, if a Minister has got such ten-

dencies or propensities, it does not require him to remain in office for eight years or ten years or twelve years, he will start exhibiting those vicious propensities within a few months of his assuming the office. There is also another danger. If a Minister has such propensities and if he is definite that after a particular period of time, say, ten years, he will have to go, with the chance never to come back, one can imagine what will happen in the last two years. So, it is better not to confine it with a certain limitation, otherwise, sufficient notice is given to him, 'You are to be out within a certain period, so, do whatever you want within that period'. Therefore, such a fixation will not really act as a bar or as a limitation on a Minister who has the natural tendency to be so, this will not restrain him from indulging in those things.

The idea seems to have been taken from what happened in America when President Roosevelt was successfully elected for four terms, at that time in America a Bill was introduced that no President shall be in office for more than two terms. There may be strong reasons—I am not justifying it. The reasons which had been given at that time and subsequently in books and articles are that, in America, the situation is that the public offices include the appointment of Ministers, and Ministers are not responsible to Parliament, the public offices go with the choice of the President, so that the system of spoils became a regular evil there. So, they thought that, if the President were elected for more than two terms, this spoils system would continue for a longer period which was not desirable in the interest of the country. But I need not tell Mr. Mishra and those who have supported his Bill that we have, here, an entirely different system; we have a system based on Parliamentary democracy, where the people's representatives place their confidence in the Prime Minister. The Prime Minister, according to her or his best judgment and chice, selects the Ministers and

the Ministers themselves are responsible to Parliament. There is no question of a spoils system here. We have an entirely different bureaucracy a permanent bureaucracy with all its merits and demerits, but not the demerits of the spoils system. So, in a situation like that, actually the Minister concerned has no choice whether he wants to continue for more than one term or even half a term or even six months. It is entirely a matter for the Prime Minister. Then not only in India but, as everybody is aware, in the entire democratic system and particularly, the parliamentary system I am referring to, the election itself has become really an election to choose the Prime Minister. It is really the personality and the confidence the Prime Minister commands which more often than not determines. That is what the constitutional experts say nowadays. It is the determining element which is the Prime Minister and the election a country undergoes is really to elect the Prime Minister. That is why the Prime Minister has become powerful in a parliamentary democracy. It is not a feature of this country alone. In England and everywhere you will find it. The Prime Minister is the real pivot and it is the Prime Minister who chooses the Ministers and as long as a Minister has gained and continues to enjoy the confidence of the Prime Minister, which, of course, is reflected in the confidence which the Parliament itself has placed in the Prime Minister he can continue but the moment he loses that confidence, he goes.

Then, the Prime Minister is selected for various reasons, and normally for his or her efficiency, integrity, and for various other qualities. Of course, political expediency and political considerations also enter into—the picture provided the first two basic qualities are there. Then, as Ministers go on, they gather experience and the experience itself may add another element for the selection and which

induces the Prime Minister to select a Minister or continue him as a Minister. Thus, here the considerations are entirely different from what we get in America. The rule was enunciated and initiated after President Roosevelt's four terms under special conditions—to adopt it in our conditions which are entirely different, as I said, will not justify.

I need not go further into details because various able speakers whose names I mentioned have given the reasons why this portion of that amendment, viz., a Minister should not continue for more than two terms is now not necessary and as the expression goes, as the Shakespearean expression goes, after their able arguments, I will not attempt to burn the building.

I will next deal with the aspect of the salaries and allowances. Being myself a Minister, it is not proper for me to wail over the bad conditions and terms and conditions of a Minister. I came with an open eye and now it is not proper for me to say that it is not sufficient and a Minister should be paid more. I will not indulge in that impropriety of myself talking about it. But I wish to bring to Mishraji's notice certain facts.

As you are aware, the Government of India Provisional Constitution Order of 1947 allowed to the Members of Governor-General's Executive Council a salary of Rs. 5,500 and with an equipment allowance, which is a sort of a sumptuary allowance or whatever allowance you may call it, of Rs. 3,320. So, altogether it came to Rs. 8,900 per month. It will be equivalent to Rs. 24,000 or Rs. 25,000 taking into consideration the inflation and rise in prices now. The Dominion Legislature passed the Ministers' Salaries Act, 1947, which made the following provision in respect of salary etc. for the ministers of the cabinet rank:

Salary of Rs. 3,000 p.m.

Sumptuary allowance at the rate of Rs. 500 p.m

[Dr. V. A. Seyid Muhammad]

Fully furnished residence in New Delhi and in Simla with free supply of water and electricity.

You will see that straightway there was a reduction from Rs. 8,900 to Rs. 3,500.

17 hrs.

The salaries of the Ministers Act, 1947 was amended in 1950 to provide that each Minister of State shall be paid a salary of Rs. 3000 and each Dy. Minister, a salary of Rs. 2000 p.m. Cabinet Ministers alone were than entitled to free furnished residence. Under the Salaries and Allowances of Ministers Act of 1952, Minister of State got a salary of Rs. 2250 p.m. and Deputy Minister, Rs. 1750 per month. They were allowed other facilities, free house and other things. After this there was no increase. It stayed there at the salary fixed in 1952, that is, almost 25 years ago. To give an idea of the magnitude in rise in prices it may be stated that the average consumer price index has risen from base 100 in 1949 to 348 in March, 1976 and from base 100 in 1960 to 286 in March, 1976.

Under the 'Ministers' Residence Rules, 1962, Cabinet Ministers and Ministers of State have to be allotted residence of which the standard rent or pooled rent under FR 45A does not, as far as possible, exceed Rs. 650 per month. In the case of the Dy. Minister the limit is Rs. 350 p.m. Again, according to the Ministers' Residences rules, furniture and electrical appliances of value not exceeding Rs. 38500 may be provided free of rent in a residence allotted to a Cabinet Minister or a Minister of State. The corresponding limit in the case of a Deputy Minister is Rs. 22,500. This does not apply to furniture and electrical appliances supplied for use in the portion of the residence set apart for office purposes. The rental value of the furniture including electrical appliances on an average comes to Rs. 622

p.m. in the case of a Cabinet Minister or a Minister of State and Rs. 374 in the case of a Dy. Minister.

SHRI N. K. P. SALVE: This is national rent. Market rent will be much more.

DR. V. A. SEYID MUHAMMAD: Yes. If these rates of rent for accommodation and for furniture and electrical appliances are taken into account, the salary proposed in the Bill, namely, Rs. 1500 per mensem would further be reduced by Rs. 650 plus Rs. 622, that is, Rs. 2,1272 per mensem in the case of Cabinet Minister or Minister of State and Rs. 350 plus Rs. 374, that is, Rs. 724 in the case of Deputy Minister. This being the position, without really making a cry over it, it will be practically impossible for any Minister to carry on, and as Mr. Salve has said, he will have to shift practically to servant quarters. I am sure with all the good intentions and the ideals and idealism behind this Bill, which Shri Mishra ji has brought forward, we would not like Ministers to be reduced to such a position.

Sir, I do not propose to take any further time of the House. I oppose the Bill and in the circumstances I most earnestly and sincerely request Shri Mishraji to withdraw the Bill.

श्री विभूति मिश्र (मोतिहार) :
 सभापति जी, मेरे विधेयक का जिन लोगों ने समर्थन किया है उनका भी स्वागत करता हूँ और जिन्होंने विरोध किया है, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, क्योंकि तुलसी दास जी ने जो रामायण लिखी, उसमें उन्होंने सब की वन्दना की। उसी स्परिट में मैं भी सब की वन्दना करता हूँ।

श्री रामावतार शास्त्री को छोड़कर, हमारे कुछ साथियों ने, श्री बनर्जी, जो कि इस समय यहाँ नहीं हैं, वह बराबर विरोध करते थे कि मैम्बरों की सैलरी को न बढ़ाया जाये, आज उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। मालूम होता है कि उनको धीरे-धीरे एक्स-

पीरियेंस प्राप्त हो रहा है। जो डेर से आये, लेकिन बुधम आये तो उसको समझना चाहिये कि वह बुधम ही है।

मेरे एक साथी ने मोटे खट्टर की बात कही है। मैं अपने उन साथी से कहूंगा कि वही मोटा खट्टर है जिसने सब को इंस गद्दी पर साकर बैठा दिया है। आज आज मोटे खट्टर की भरसना मत कीजिये, जब मोटे खट्टर की बात थी, तो शायद उस समय वह राजन ति में होंगे या नहीं होंगे, या उनकी पैदाइश भी हुई होगी या नहीं, इसमें मुझे मन्वेह है। इसलिये आज भले ही उनके लिये टैरेलिन का मुग हो जाये, लेकिन मैंने उस मोटे खट्टर के मुग को देखा है।

एक बार राजेन्द्र बाबू को खुजली हो रही थी। लेकिन वह मोटा खट्टर पहन कर ही मेरे साथ भोज्याघाट से चम्पारन आये। उनके पीपें निकल रही थी, बार-बार खुजलाते थे, लेकिन फिर भी वह मोटा खट्टर ही पहने रहे। आज मोटे खट्टर की वजह से ही यहां गद्दी पर बैठे हैं, श्री: हमारे साथी लोग टैरेलिन की बात करते हैं। मेरा कहना यह है कि मोटे खट्टर की आज भी जो इज्जत है वह टैरेलिन की नहीं है।

श्री मेरे एक साथी ने कहा कि फ्रैलेसी है। मैं कहता हू कि 1920 में जब गांधी जी ने आन्दोलन किया तो श्री वारेन्द्र बाबू ने कलकत्ता में सी० आर० दास से कहा कि माई लाई और सर कहने से और टोप पहनने से हिन्दुस्तान आजाद नहीं होगा, इस सबको हटा कर गांव में चलिये, तभी हिन्दुस्तान की आजादी होगी। सी० आर० दास ने उसी दिन से सारा काम छोड़ दिया। उस समय अगर वह बर्हल लोग अपनी बहालत छोड़ कर आम जनता के साथ न आये होते तो आज हिन्दुस्तान की आजादी नहीं होती और वह टेलीफोन और रेडिओ का बिल बनाना किसाब नहीं जुड़ता।

सभापति जी, हम लोग किसानों के यहाँ गांव में जाकर के चारपाई पर डी नहीं, जमीन में सोये हुए हैं। जो खाना खाया तो खा लिया, अगर नहीं खाया तो बाँग खाये ही, उनको साथ मो गंगे, तब यह आजाई आज आई है। इस आजादी के आने के बाद हम उन सारी बातों को भूल जाते हैं और कहते हैं कि हमारा खर्चा नहीं चलेगा।

आज 40 रुपये माहवार पाने वाला गरीब, बांडर लाइन पर है, वह किस तरीके से अपनी जिन्दगी बसर करता है? वह हमको बोट देता है, उसके पास जूता नहीं है, छ'ता नहीं है, लेकिन हम उसकी बात को भूल जाते हैं और कहते हैं कि हम यहा आ गये हैं तो बड़े आदमी हो गये हैं! मैं आपको बताना चाहता हू कि यह फ्रैलेसी नहीं है, यह क्रैक्ट है। इन्ने श्रीमती इन्दिरा गांधी जी की तार फ करनी चाहिये, अगर वह एमरजेंसी न लाई होती तो जिस तरह की हमारे खिलाफ यहां हवा बनाई जा रही थी तो हिन्दुस्तान में इन फ्रैलेसी करने वालों ने हमारे दो टुकड़े कर दिये होते।

सभापति जी, आपको याद होगा जिस समय हम लोगों की सैलरी 421 पये कपाई गई, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ था मेरे पास कार नहीं थी। पुलिस ने हमारी कार जब्त कर ली। वे शहर पंडित जवाहरलाल जं ने सैट्रल हाल में कहे थे और उन्होंने कहा था कि हमारी हालत क्या पुछते हो, हम तो कभी टांगे और टमटम पर चलते थे। आज हमारे साथी कहते हैं कि साहब यह नहीं है, यह जरूरी है।

आज मैं थोड़ा शरीर से कमजोर हो गया हूँ, लेकिन मैं बीनेज के साथ कहता हू कि आप मेरे जिले के और सूबे के लोगों व पुछिये, सन 1952 और 1957 के इन्वेन्शन मैंने साइकिल पर चढ़ कर जते हैं, एक सैकड़ भी मैं किसी गाड़ी पर नहीं चढ़ा। अगर मैं

[श्री विष्णुति मिश्र]

अन्य कहता हू तो या: इस बात को चैलेंज कर के वहाँ के लोगों से पूछ लीजिये, क्योंकि बहुत से लोग अभी जिन्दा है। आप यहाँ कहते हैं कि हमारा खर्चा नहीं चलता है। आप गरीब देश के प्रतिनिधि होकर यह कहते हैं कि हम ढकोसला करने है। समाप्ति जी, मैं ढकोसला नहीं करता हू, सही बात कहता हूँ। आप यह नहीं समझिये कि आज एमरजेंसी लगने के बाद हम बालकानों पर नहीं है। आप इन बात को समझ लीजिये, आज भी हम बालकानों पर हैं।

कूपने बयोबुद्ध साथी के प्रति मुझे दया आती है। वह कहते हैं कि यह बात इनसेन्सिबल है। जिन के देश के लोग सत्तू खा कर गुजारा करते हैं, वह कहते हैं कि यह, इनसेन्सिबल है। सेन्स का होना या न होना तो मन पर निर्भर करता है। अगर कोई सत्तू खाकर संतुष्ट रहना है, तो उस में सेन्स है। बहुत से लोग पकवान खाते हैं और एयर-कन्डीशन मं रहते हैं, लेकिन उन को शांति मही होती है। अगर मन में सेन्स और शांति हो, नभी वास्तव में शांति है।

मैं यह भी कहना चाहता हू कि यह इन्हांम नहीं है। अगर माननीय सदस्य जैसे आदमी होते, तो हिन्दुस्तान कभी आजाद न होना। बहुत से लोग यह सोच भी नहीं सकते थे कि 15 अगस्त, 1947 को अंग्रेज यहाँ से चले जायेंगे। एक बड़े भारी विरोधी नेता को भी, जो इस समय पटना में बीमार है, यह विश्वास नहीं था कि 15 अगस्त की रात को अंग्रेज यहाँ से चले जायेंगे। यह इन्हांम नहीं है। मैं सही बात कह रहा हू।

श्री डी० एन० तिवारी उस में और इस में तुक क्या है ?

श्री विष्णुति मिश्र : मेरा तात्पर्य यह है कि गरीबी में रह कर भी आजादी ली जा सकती है और राज्य-कार्य चलाया जा

सकता है। जब रण प्रकाश ही क्या, तो वहाँ यह प्रचार हुआ कि लेनिन बड़े आराम से रहता है। लोक लोभ लाठी-बंडा से कर गए और दरवाजा तोड़ने लगे। लेनिन ने कहा कि उन लोगों को धाने दो। लोगों ने अन्दर जा कर देखा कि लेनिन चटाई पर सीता है और उस का रहन-सहन गरीबों का सा है। जिन लोगों ने यह भ्रमवाह उड़ाई थी, तब से लोग उन को मारने के लिए चले गए।

माननीय सदस्य के सूबे में, सोनपुर के ग्राम-पाल, चाणक्य रहता था। वह नाव से नदी पार कर के आता था और चन्द्रगुप्त का राज्य चलाता था। वह विद्यार्थियों को पढाता था और विद्यार्थी उस को जो थोड़ा-बहुत चावल देते थे, उन को हांडी में बना कर खाता था। सप्ताह में ऐसा पालीटिशन अब तक नहीं हुआ है। इसलिए माननीय सदस्य इस बात को अमम्भव न समझे।

श्री शुक्ल ने कहा है कि 1500 रुपये और सब सहूलियतों से काम नहीं चलेगा। जो वकील लोग हमारे साथ आजादी की लड़ाई में आये थे, उन का सम्भार हम लोगों ने बदल दिया। लेकिन जो लोग खुशहाली में आये हैं उन का सम्भार कैसे बदरेगा ? वह अमम्भव है। उन ; सम्भार को बदलने के लिए मोहन राम कर्मचन्द गार्धी, जवाहरलाल नेहरू, राजेन्द्र बाबू और ब्रजकिशोर बाबू पदा हों—नभी उन का सम्भार बदल सकता है। लेकिन वे दिन चले गए। मुझे वे दिन याद हैं। मुझे वे दिन भूल नहीं है।

श्री डी० एन० तिवारी राजेन्द्र बाबू और जवाहरलाल नेहरू यहाँ मौजूद थे और उन्हीं लोगों ने इस को फिक्स किया है—दूसरे लोगों ने फिक्स नहीं किया है। माननीय सदस्य उस को बदलना चाहते हैं। क्या वह समझते हैं कि वे अपने आदर्श से हट गये थे ?

श्री विष्णुति मिश्र : मैंने राजेन्द्र बाबू और जवाहरलाल जी से बात की। उन्होंने कहा कि हम क्या करें, लोग नहीं मानते हैं।

अपनी किम्बोनी में वे उसी प्राद्वर्ष के अनुसार रहते थे। मैंने राजेन्द्र बाबू से पूछा कि आप चाय क्यों पीते हैं। उन्होंने कहा कि क्या करें, सारे देश के लोग भाते हैं, चाय पर बात होती है, इस लिए मैं पी रहा हूँ।

श्री डागा ने हरियाणा और राजस्थान की बात कही। हरियाणा या राजस्थान हमारे आवाम नहीं हो सकत है। हमारा आदर्श तो हमारा देश है—हमारे देश में ऋषि-मुनि किन तरह रहते थे, किस तरह राज्य चलाते थे। इनके राज्य के लोग तो हमारे यहां लुटिया ले कर जाते हैं और सेठ बन जाते हैं। मैं मंत्री जी से कहूंगा, मैं इस बात को नहीं मानता जो कही गई, मेरा यह कहना है कि अगर मेरा सेक्रेटरी अच्छे बंगने में रहता है और म. म. वॉट क्वार्टर में मैं रहता हूँ तो मैं उस के बाद भी उस का मानिक ही रहूंगा। मेरा चरित्राहा पहले दही खाता है, हम घर वाले पीछे खाते हैं। और अगर यह कहते हैं कि आप व. सेक्रेटरी इस तरह से रहते हैं तो यह तो आप का काम है कि अपने सेक्रेटरी को ठीक करें। अगर अपने सेक्रेटरी को ठीक नहीं कर सकते हैं तो आप क्या धमता रखते हैं? आप ने तो कबूत किया कि अमल रुजर सेक्रेटरी है। हमारे साथियों ने कहा कि सेक्रेटरी ज्यादा ताकत रखता है तो मैं कहना हूँ कि हम को जनता न जब चुन कर भेजा तो हम किम मर्ज की दब हैं? हम ने तो ज्यादा शिकायत मिनिस्टर: की हो गई कि सेक्रेटरी जाना है एयर कन्वोड में और मिनिस्टर जाना है फर्स्ट क्लास में तो मिनिस्टर की शिकायत है....

सभापति महोदय : नहीं, मिनिस्टर और सेक्रेटरी दोनों उस में एलाउड हैं। वह महापाल भी ने अपने लिए कहा कि वे एलाउड नहीं हैं। उन्होंने अपने लिए कहा।

श्री विभूति मिश्र : मैं तो अपने साथियों के लिए कहता हूँ कि वे शिकायत करने हैं। यह तो आप की अपनी शिकायत है। आप इतने दिन में मेम्बर हैं, आप कुछ नहीं कर सके।

मेरा इस बिल के लाने में यह बिचार था कि मिनिस्टर होने से पावर कंसेंट्रेट हो जाती है। आप ने देखा होगा कि नपोलियन बर्ड पहली बार जब आया तो उस ने कहा कि कांस्टीट्यूशन बनाओ। लोगों ने बना कर दिखलाया तो कहा कि यह बड़ा कमजोर है। फिर इस को ठीक से बनाओ। ठीक से बना कर लाए तो कहा कि हां, ठीक है। जब दूसरी बार वह चुन कर आया तो नपोलियन फिर डिक्टेटर हो गया। इमीलिए मेरा यह ख्याल है कि हमेशा पावर किसी के हाथ में नहीं रहनी चाहिए। ज्यादा पावर रहने से आदमी नाकनवर हो जाता है और और पावर चाहता है। मेम्बरों ने अपने को ले लिया। मेम्बर का तो कही नाम ही नहीं है। यह तो मेरी समझ में नहीं आता है, किसी ने शीम पर मारा तो पहाड फोड़ने के लिए चल पड़े। मेम्बर का नाम इस में कहां है? मैंने तो कहा कि पावर कहा कमट्रेडेड है? पावर तो मिनिस्टर में कमट्रेडेड है। मेम्बर में क्या है? हम तो सिफारिशी बाडी है, सिफारिष करते हैं। पावर हमारे पास कहा है जो मेम्बर इतने घबरा गए और अगर घबरा गए तो अमेडमेट जाते। लेकिन अमेडमेट भी नहीं लाए। तो यह समझ में नहीं आया कि हमारे साथी लोग किस तरह में पढते हैं और किस तरह से मोचते हैं।

।फर इस में मैंने कहा कहा कि आफिशियल ड्यूटी को करने के लिए आप को सहुलियत नहीं देंगे? इस में तो यह नहीं लिखा है। मान लीजिए हमारे बोर्डर पर कोई हमला कर दे और मैं कहूँ कि बैलगाड़ी में चले, पदल चलें तो यह तो मैंने नहीं कहा है। सरकार का

[श्री विभूति मिश्र]

काम चलाने के लिए जितनी जरूरत हो वह सारी सुविधा इन को देनी होगी। लेकिन मिनिस्टर अपने काम के लिए मरकारी साधन न इस्तेमाल करें। जैसे प्राज मिनिस्टर नहीं हैं या मिनिस्टर हैं तो भी अपने घर जाना है तो सरकारी गाड़ी अपने प्राइवेट काम के लिए इस्तेमाल न करे। मेरा मंशा यह है कि मरकार के काम में जो एफिशियेंसी के लिए आवश्यक हो उस में कहीं कोई बाधा नहीं देनी है। हा व्यक्तिगत काम में हम को जनता की तरह से रहना चाहिए यह हमारा विचार है और पावर एक जगह कन्संट्रेट नहीं हो। फिर ये कहते हैं कि पन्द्रह सौ रुपया कम है। मैं समझता हूँ कि आप के अपने घर पर और मंत्रियों के घर पर गढ़े वाली कुर्सियां न हों, काठ वाली कुर्सियां हों तो क्या कुछ बेजा होगा? हार्ड बेड पर तो हम खूब सोते हैं। तो उस तरह में आप रहिए, अपना खर्चा कम कीजिए। लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे जैसे भ्रादमी की बात चलेगी नहीं। मैं इस बात को महसूस करता हूँ हम लोग थोड़े से बच गए हैं। लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि लाख फेमिली प्लानिंग के बाद भी अगर हम लोग इस तरह से जनता के साथ नहीं होगे तो जनता माफ नहीं करने वाली है।

दबा देकर बुधार को दबाया जाता है, बहुत सी चीजें हैं जो दबा दी जाती हैं लेकिन समय आने पर उनमें उभाड़ आता है। इसलिए मैं कहूँगा कि समय रहते अगर आप लोग नहीं चेतेंगे तो काम नहीं बनेगा। मैं यह बात दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं यहाँ पर रहता हूँ, मेरे घर में एयर-कंडीशनर नहीं है फिर मैं कैसे रहता हूँ और बाहर कैसे सोता हूँ, इसको आप समझ सकते हैं। मैं कहता हूँ हमारे यहाँ परिपाटी चल गई है। जैसे हम पहले कांग्रेस में रहते थे वह चीज अब रही नहीं। अभी हम ने ए आई सी सी की मीटिंग माबलकर हाल में घटोड़ की जरा

कुर्सियां लगाई गईं लेकिन पहले हम बंजीव पर बैठते थे। इस तरह से बात बदलती है लेकिन हम जैसे जो कुछ पुराने भ्रादमी हैं उनका दिमाग धीरे धीरे बदलता है। बुढ़ापे में कुछ लालच भी आ जाता है। लेकिन मैं क यह कहूँगा कि मेरे दिल की मंशा किसी की तोहीन करने की नहीं है। मेरे दिल की मंशा बही है कि इस देश की जनता जिस तरह से रहती है उसी तरह से हम भी रहें। हम लाख फेमिली प्लानिंग की बातें करे लेकिन जब तक हम भ्रादर्म नहीं दिखायेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। अगर गांधी जी जेल नहीं जाते, प० जशहूरलाल नेहरू जेल नहीं जाते और हम लोग जेल नहीं जाते तो क्या भ्रादर्म बनता। आप को याद होगा सन् 1932 के भ्रान्दोलन के भ्रास पास प० मोतीलाल नेहरू ने एक सङ्कलर दिया था कि हर भ्रादमी अपने को इतना भ्रपार्श्व न समझे कि जेल न जाने से देश का काम होगा, हर भ्रादमी को अपना काम छोड़ कर जेल जाना चाहिए और भ्रादर्म प्रस्तुत करना चाहिए। अगर हम लोग भ्रादर्म प्रस्तुत नहीं करेगें तो जनता हमको माफ नहीं करेगी।

हमारे मंत्री जी ने जो जबाब दिया है वह ठीक दिया है। उनकी बात उचित ही है। उनके जबाब में सीम्यता थी। वे मुझे वापिस करने के लिए कहते हैं तो मैं कांग्रेस पार्टी का एक डिनिप्लिड सोल्जर होने के नाते अपना विधेयक वापिस लेने की अनुमति चाहता हूँ।

सभापति महोदय . प्रश्न यह है

“भारत क संविधान का और सशोधन करने वाले विधेयक को वापिस लेने की अनुमति दी जाये।”

The motion was adopted.

श्री विभूति मिश्र : सभापति महोदय, मैं अपने विधेयक को वापिस लेता हूँ।